उत्तराखण्ड शासन
सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4
संख्या: 258/XXXI(4)2022/19(विविध)2015
देहरादून : दिनांक 04 अप्रैल, 2022

अधिसूचना

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तराखण्ड सचिवालय सामान्य संवर्ग के समीक्षा अधिकारियों को उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग में समीक्षा अधिकारी (लेखा) के पद पर केवल एक बार के लिए संवर्ग परिवर्तन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

उत्तराखण्ड सचिवालय समीक्षा अधिकारी (सामान्य संवर्ग) से उत्तराखण्ड सचिवालय समीक्षा अधिकारी (लेखा संवर्ग) के पदों पर संवर्ग परिवर्तन नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड सचिवालय समीक्षा अधिकारी (सामान्य संवर्ग) से उत्तराखण्ड सचिवालय समीक्षा अधिकारी (लेखा संवर्ग) के पदों पर संवर्ग परिवर्तन नियमावली, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्यारोही प्रभाव 2. यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या इस निमित्त किसी कार्यपालक आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषायें 3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में,

(क) सेवा संवर्ग–

(i) "उत्तराखण्ड सचिवालय सामान्य संवर्ग" से उत्तराखण्ड सचिवालय समीक्षा अधिकारी संवर्ग अभिप्रेत है;

(ii) "उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग" से उत्तराखण्ड सचिवालय समीक्षा अधिकारी (लेखा संवर्ग) अभिप्रेत है।

(ख) "संगत सेवा नियमावली" से उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग

सेवा नियमावली, 2008 (समय–समय पर यथासंशोधित) अभिप्रेत है।

(ग) ''सेवा का संवर्ग'' से उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग अभिप्रेत है।

(घ) ''मौलिक नियुक्ति'' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विधिक प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो, अभिप्रेत है।

संवर्ग परिवर्तन हेतु पात्रता

4. लेखा संवर्ग में संवर्ग परिवर्तन हेतु निम्नलिखित पात्रताओं का पूर्ण किया जाना आवश्यक है, अर्थात्:–

(1) उत्तराखण्ड सचिवालय सामान्य संवर्ग के ऐसे समीक्षा अधिकारी, जो लेखा संवर्ग में कार्यरत् हों/पूर्व में तैनात रहे हों तथा जिन्होने लेखा संवर्ग में समकक्षीय पद पर कम से कम दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(2) संवर्ग परिवर्तन हेतु कार्मिक को वाणिज्य स्नातक (बी0कॉम)/ वाणिज्य परास्नातक उपाधि (एम0कॉम) होना आवश्यक है।

शर्तों का निर्धारण

5. (1) संवर्ग परिवर्तन सचिवालय लेखा संवर्ग में समीक्षा अधिकारी (लेखा) के पदोन्नति के रिक्त पदो के सापेक्ष किया जायेगा।

(2) सचिवालय सेवा में संविलियन/नियुक्ति के आदेश की तिथि सम्बन्धित कार्मिक की मौलिक नियुक्ति की तिथि मानी जायेगी।

(3) संवर्ग परिवर्तन के फलस्वरूप लेखा संवर्ग में नियुक्त होने वाले समीक्षा अधिकारी मूल लेखा संवर्ग के समीक्षा अधिकारियों से ज्येष्ठता क्रम में कनिष्ठ होंगे :

परन्तु यह कि, सम्बन्धित कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनकी सचिवालय समीक्षा अधिकारी संवर्ग में समीक्षा अधिकारी के पद में नियत ज्येष्ठता क्रम के अनुरूप रहेगी।

(4) संवर्ग परिवर्तन होने वाले कार्मिकों की लेखा संवर्ग में पदोन्नति लाभ लेखा संवर्ग के मूल कार्मिकों के पश्चात् ही प्रदत्त होंगे। उक्त कार्मिकों के संवर्ग परिवर्तन के बाद सेवा लाभों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा।

संवर्ग परिवर्तन की प्रक्रिया

6. (1) उत्तराखण्ड सचिवालय लेखा संवर्ग में समीक्षा अधिकारी (लेखा) के पदोन्नति के रिक्त पदों पर संवर्ग परिवर्तन हेतु निम्नानुसार चार सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा।

1.	सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग–	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव, कार्मिक विभाग–	सदस्य
3.	अपर सचिव, न्याय विभाग–	सदस्य
4.	अपर सचिव, सचिवालय प्रशासन (लेखा)–	सदस्य

(2) समिति द्वारा संवर्ग परिवर्तन हेतु पात्र कार्मिकों के सेवा अभिलेखों का परीक्षण किया जायेगा। पात्रता पूर्ण करने पर कार्मिकों की सहमति/अनापत्ति प्राप्त की जायेगी।

(3) समिति द्वारा संवर्ग परिवर्तन हेतु पात्र कार्मिकों की विगत दो वर्ष की चरित्र प्रविष्टि एवं अन्य सुसंगत सेवा अभिलेखों का संज्ञान लेते हुए संस्तुति की जायेगी।

(4) समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा संवर्ग परिवर्तन के आदेश निर्गत किये जायेंगे।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।